न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

बाल विवाह

गतिविधि 1 : विषय पर चर्चा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर
समय : 30 मिनट
कार्यप्रणाली : समूह कार्य, चर्चाएँ, प्रस्तुति

चरण 1 : सूत्रधार रूमी की कहानी साझा करता है

रूमी एक 15 साल की लड़की है जो परीक्षा में फेल हो गई थी। जब वह घर पहुंची और अपने माता–पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने उसे स्कूल जाना बंद कर घर पर रहने और घर का काम करने के लिए कहा। दो महीने के भीतर ही उसके माता–पिता एक उपयुक्त लड़के के साथ उसकी शादी की व्यवस्था करने के लिए कई रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। रूमी शादी नहीं करना चाहती थीं।

चरण 2 : दर्शकों के साथ रूमी की कहानी और बाल विवाह होने के विभिन्न कारणों पर चर्चा करें

चरण 3 : दर्शकों से पूछें कि वे बाल विवाह शब्द से क्या समझते हैं। उत्तरों को चार्ट पेपर में लिखें।

चरण 4 : दर्शकों को तीन समूहों में विभाजित करें और समूह को निम्नलिखित पर चर्चा करने के लिए कहें :

समूह 1 : बाल विवाह के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव

समूह 2 : बाल विवाह के सामाजिक और स्वास्थ्य प्रभाव

समूह 3 : आकांक्षाएँ और सपने जो बचपन में पनपते हैं

चरण 5 : समूहों को रोल प्ले, स्किट, प्रेजेंटेशन आदि में उत्तर पर चर्चा करने के लिए कहें।

चरण 6 : प्रत्येक विषय पर पूरे समूह के साथ चर्चा करें, यदि वे कोई बिंदु या जानकारी भूल गए हैं तो उस जानकारी को भी चर्चा में जोड़ें।

सुविधाप्रदाता मार्गदर्शन

कानून के अनुसार किसी भी बच्चे की निश्चित आयु से पहले यानि बच्चों के नाबालिग उम्र में उनकी शादी करना बाल विवाह होता है। यह एक रुढ़िवादी प्रथा है, जिसे बाल विवाह नाम दिया गया है। यह बच्चों के मानवाधिकारों को ख़त्म कर देता है। जिसमें उनके बचपन को उनसे छीन कर उन्हें ऐसे बंधन में बढ़ दिया जाता है, जिसके बारे में उन्हें बिलकुल भी

ज्ञान नहीं होता है। उन्हें यह तक नहीं पता होता है, कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस प्रथा का शिकार अधिकतर कम उम्र की लड़कियां होती हैं। क्योंकि इसमें न सिर्फ कम उम्र की लड़की का विवाह कम उम्र के लड़के से कराया जाता है, बल्कि कम उम्र की लड़की का विवाह उनसे बहुत अधिक उम्र के बड़े लड़के से भी करा दिया जाता है। इससे उनके पूरे जीवन पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है।

बाल विवाह से तात्पर्य है उस विवाह से जब बालक अथवा बालिका अथवा दोनों विवाह के लिए निर्धारित उम्र से काम के हों। वर्तमान समय में बालक के लिए 21 साल एवं बालिका के लिए 18 साल निर्धारित है। यदि कोई भी व्यक्ति इस निर्धारित उम्र से काम उम्र में शादी करता है तो उसे बाल विवाह करार दिया जायेगा। बाल विवाह मुख्यतया परिवार द्वारा बनाई गयी व्यवस्था के अधीन होते हैं, जहां सहमति का कोई स्थान नहीं होता है। किन्तु सहमति से किया गया बाल विवाह भी कानूनी रूप से वैध नहीं है। वर्तमान समय में बाल विवाह को किसी भी एक व्यक्ति द्वारा शून्य या शून्यकरण घोषित करवाया जा सकता है।

बच्चा कौन है?

- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र (आमतौर पर जिसे संक्षेप में सीआरसी या यूएनसीआरसी कहा जाता है) एक मानवाधिकार संधि है जो बच्चों के नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य

संबंधी और सांस्कृतिक अधिकारों का वर्णन करती है। आप इसके बारे में और यहाँ पढ़ सकते हैं : https://bit-ly/2HjzOxV

- यह संधिपत्र 18 साल से कम उम्र के मनुष्य को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है।

कारण (Causes)

बाल विवाह के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक रूप में कई कारण हैं। यहाँ हम आपके सामने बाल विवाह के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में दर्शाने जा रहे हैं।

- **लिंग असमानता एवं भेदभाव** – कई समुदायों में जहाँ बाल विवाह का प्रचलन हैं, वहां लड़कियों को लड़कों की तरह महत्व नहीं दिया जाता है। लड़कियों को उनके परिवार वालों द्वारा बोझ के रूप में देखा जाता हैं। उनका मानना होता है कि अपनी बेटी का कम उम्र में विवाह कर अपना बोझ उसके पति के ऊपर डाल देना चाहिए, ताकि वे अपनी आर्थिक कठिनाई को कम कर सके। इसेक अलावा लड़कियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, शादी करने के लिए किसको देखने की अनुमति होनी चाहिए। लड़कियों को इन सभी चीजों के लिए

नियंत्रित करना भी बाल विवाह के लक्षण हैं। लड़कियों के साथ भेदभाव कर उन पर घरेलू हिंसा, जबरदस्ती और साथ ही उन्हें भोजन से वंचित कर उन्हें विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। और यह सब सूचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक उनकी पहुँच न होने के कारण होता है।

- **परंपरा** – कुछ लोग इसे एक परंपरा के रूप में देखते हैं। कई जगहों पर यह सिर्फ इसलिए होता है, क्योकि लोगों का कहना होता है कि, यह पीढ़ीयों से चली आ रही प्रथा है। जब लड़कियों को मासिक चक्र शुरू होता हैं, तो वे समुदाय की नजर में महिला बन जाती है। और वे कम उम्र में ही उनका विवाह कर उन्हें एक पत्नी और माँ का दर्जा दे देते हैं।
- **गरीबी** – बाल विवाह का मुख्य कारण गरीबी भी है। गरीब परिवार के लोगों में यह ज्यादा देखा जाता है, कि वे अपनी बेटियों की शादी जल्दी से जल्दी कर देते हैं। क्योकि वे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि लड़की की शादी जल्द से जल्द करने से उन्हें उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शादी में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। गरीब परिवार के लोग लड़कियों के बजाय लड़कों को शिक्षित करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यह भी बाल विवाह का एक कारण है। गरीब परिवार के लोग अपना घर चलाने के लिए ऋण लेते हैं, या वे किसी विवाद में पड़ जाते हैं, तो इस तरह के मामलों से निपटने के लिए वे लोग अपनी लड़कियों का विवाह ऐसे घर में एवं कम उम्र में ही देते हैं।

इसके अलावा यदि गरीब परिवार की लड़की युवा एवं अशिक्षित हो, तो उन्हें दहेज के लिए कम पैसे देने होते हैं। इसलिए भी वे लड़कियों का विवाह जल्दी कर देते हैं।

- **असुरक्षा** – कई माता दृ पिता अपनी बेटियों का विवाह किसी युवा या उससे अधिक उम्र वाले लड़के से कर देते हैं, क्योकि उन्हें लगता हैं कि यह उनके हित में है। वे लड़कियों को उत्पीढ़न और शारीरिक या यौन शोषण जैसे खतरे से उनकी सुरक्षा करने के लिए यह कदम उठाते हैं।
- **उपजाति अंतर्विवाह** – समुदाय हजारों उपजातियों में बंटा हुआ है। प्रत्येक उप–जाति अंतर्विवाह की एक इकाई है, जिसके कारण विवाह के लिए साथी चुनने का क्षेत्र बहुत सीमित है और माता–पिता एक अच्छे वर को खोना चाहते हैं। अधिक उम्र में शादी होने के कारण वर खोजने में काफी दिक्कतें आती हैं, इसलिए इससे बचने के लिए संरक्षक कम उम्र में ही शादी कर लेते हैं।
- **दहेज प्रथा**– वर्तमान समय में दहेज भी बाल विवाह का एक प्रमुख कारण है। दहेज के दानव से भयभीत माता–पिता सोचते हैं कि

जैसे–जैसे लड़की बड़ी होगी, उसे अधिक उम्र के वर की तलाश करनी होगी। वर की उम्र के साथ–साथ उसकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और उसका मान बढ़ता है। दूल्हे की हर सफलता दूल्हे का मान बढ़ाती है। अतः अत्यधिक दहेज से बचने के लिए अभिभावक बाल्यावस्था में ही विवाह कर देना उचित समझते हैं।

- **संयुक्त परिवार प्रणाली** – संयुक्त परिवार भी बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। विवाह केवल एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह ही नहीं है, बल्कि दो परिवारों और दो पीढ़ियों का रिश्ता भी है। इस वजह से दूल्हे की काबिलियत और कमाई की क्षमता पर ध्यान दिए बिना ही शादी कर दी जाती है। इसके अलावा संयुक्त परिवार में बड़े–बुजुर्ग चाहते हैं कि जल्दी से पोते–पोतियों का चेहरा देख लें ताकि उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने की सोने की सीढ़ी मिल जाए। नतीजतन, किशोरावस्था से बच्चों के हाथ पीले हो जाते हैं।

- **अपर्याप्त कानून** – कई देश ऐसे हैं, जहाँ बाल विवाह के खिलाफ कानून तो हैं, लेकिन वह पूरी तरह से लागू नहीं होता है। मुस्लिमों में शिया एवं हजारा जैसे कुछ कानून होते हैं, जिसमें बाल विवाह भी शामिल है। इसी तरह कुछ समुदाय के लोग अपने अनुसार कानून का निर्माण कर भी बाल विवाह जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं।

प्रभाव (Effects)

यह एक ऐसी प्रथा हैं, जिसका प्रभाव नाकारात्मक ही होता है। इसके दुष्प्रभाव निम्न हैं –

- **अधिकारों से वंचित** – बाल विवाह का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है, कि इससे लड़कियों को जो अधिकार मिलने चाहिए, उन्हें उनसे वंचित कर दिया जाता है। उन्हें छोटी उम्र में ही घर के कामों को सीखने के लिए मजबूर किया जाता है।
- **बचपन का छिनना** – यह प्रथा ऐसी हैं, जहाँ बच्चों से उनका बचपन छिन जाता है। जब उनके खेलने कूदने के दिन होते हैं, तब उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी जाती हैं, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। जहाँ उन्हें खेल खिलौने एवं गुड्डे–गुड़ियों की शादी जैसे खेल खेलने चाहिए। वहां उन्हें ही गुड्डे–गुड़ियाँ बना कर उनका विवाह कर दिया जाता हैं और उन पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती है। जिससे उनका मानसिक एवं भावनात्मक विकास नहीं हो पाता है।

- **निरक्षरता** – बाल विवाह के चलते लड़कियों को अशिक्षित ही रखा जाता हैं या उन्हें बीच में ही शिक्षा छोडनी पड़ती है। उन्हें घरेलू काम काज की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। और लडकियाँ शिक्षित नहीं होने के कारण उन्हें स्वतंत्र एवं खुद को सशक्त बनाने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे जीविका के लिए अपने परिवार पर निर्भर हो जाती हैं और खुद को शक्तिहीन बना देती हैं, जिससे उनका आसानी से शोषण हो सकता है। इसके अलावा यदि वे शिक्षित नहीं रहती हैं, तो वे वित्तीय कठिनाइयाँ में अपने परिवार की सहायता करने में भी सक्षम नहीं होती, साथ ही वे अपने बच्चों को भी शिक्षित नहीं कर पाती हैं।
- **बीमारियाँ** – यदि छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता हैं, तो इससे वे एचआईवी जैसे यौन बीमारियों का शिकार भी हो सकती हैं। कम उम्र में विवाह होने से लड़कियाँ कम उम्र में ही गर्भवती हो जाती हैं जबकि उन्हें इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं रहती है। इसके अलावा कम उम्र में लड़कियों के साथ जबरन यौन संबंध बनाये जाने के कारण भी लड़कियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शोषित लडकियाँ अपने बचाव के लिए किसी से संपर्क भी नहीं कर पाती है।

इससे उन्हें कई बीमारियाँ भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है।

- **जल्दी माँ बनना** – जल्दी माँ बनना बाल विवाह के सबसे प्रमुख प्रभावों में से एक हैं। माँ बनने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ्य रहना बहुत जरुरी होता है, ऐसे में लड़कियों के जल्दी विवाह होने से वे जल्दी माँ बन जाती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य खतरे पड़ सकता है। इससे उनके बच्चे कुपोषित भी पैदा होते हैं जिससे उन्हें कई बीमारियाँ हो सकती हैं। शोध के अनुसार यह पता चला है कि 15 वर्ष से कम उम्र की लडकियाँ में 20 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों की तुलना में डेलिवरी के दौरान मरने की संभावना 5 गुना अधिक होती है। ऐसे मामलों में शिशु मृत्यु दर भी बहुत अधिक है।
- **वैधव्य का अभिशाप** – बाल विवाह के कारण बड़ी संख्या में लड़कियां विधवा हो जाती हैं। विधवा शब्द उसके जीवन के हर सुख को हर लेता है। या तो वह पुनर्विवाह नहीं करती और करती भी है तो अधिकांश बेमेल विवाह होते हैं। इस प्रकार बाल विवाह बाल वधु के लिए एक अभिशाप बन जाता है क्योंकि यह उसे वैधव्य भुगतने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है।

★ ★ ★

गतिविधि 2
बाल विवाह पर कानून

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर
समय : 45 मिनट
कार्यप्रणाली : प्रदर्शनी, चर्चा और प्रस्तुति

चरण 1 : कमरे के अलग–अलग कोनों में चार चार्ट लटकाएं और प्रत्येक चार्ट पर एक शीर्षक इस प्रकार लिखें :

चार्टपेपर 1	चार्टपेपर 2	चार्टपेपर 3	चार्टपेपर 3
हम बाल विवाह को कैसे रोक सकते हैं?	बच्चों का बलपूर्वक विवाह कराने वाले व्यक्तियों को दण्ड	उन बच्चों के लिए प्रावधान जिनकी शादी कम उम्र में हो जाती है और वे अपनी शादी तोड़ना चाहते हैं	जिन बच्चों की शादी टूट गई है उनके पुनर्वास का प्रावधान

चरण 2 : समूह से सभी चार प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहें। बाद में उनसे अपने उत्तर परिभाषित करने के लिए कहना शुरू करें।

चरण 3 : दर्शकों के साथ बाल विवाह रोकने के तरीकों पर चर्चा करें

चरण 4 : दर्शकों के साथ बाल विवाह कानूनों के बारे में चर्चा करें

सुविधाप्रदाता मार्गदर्शन

बाल विवाह के लिए बनाये गए कानून की जानकारी (Basic Law Information for Child Marriage)

बाल विवाह को रोकने के लिए अलग–अलग देशों में अलग–अलग कानून बनाये गये हैं। हम यहाँ भारत में बाल विवाह के लिए बनाये गये कानून के बारे में बात करने जा रहे हैं जोकि इस प्रकार है –

बाल विवाह अधिनियम 1929 : –

बाल विवाह के खिलाफ सबसे पहले सन 1929 में कानून बनाया गया था। जिसे सन 1930 में अप्रैल माह की पहली तारीख को पूरे देश में लागू किया गया था। इस कानून का लक्ष्य लड़कियों पर इसके कारण होने वाले

दुष्प्रभावों को समाप्त करना था। इस कानून को शारदा अधिनियम (शारदा एक्ट) भी कहा जाता है। इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि इसमें केवल विवाह के अनुष्ठापन (solemnization of marriage) को रोकने के प्रावधान थे, बाल विवाह की रोकथाम या निषेध के लिए नहीं। और यह कारण था कि यह अधिनियम बहुत प्रभावशाली नहीं था।

इस कानून में निम्न नियम लागू किये गये थे –

- इस कानून के तहत विवाह के लिए पुरुष की आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं महिलाओं की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तय की गई थी। इससे पहले शादी करने पर उसे बाल विवाह समझा जाता था। और इसके लिए उन्हें सजा भी दी जाती थी।
- 18 से 21 वर्ष की उम्र के पुरुष को नाबालिग लड़की से बाल विवाह करने पर उसे 15 दिन की सजा एवं 1000 रूपये का जुर्माना देना होता था।
- इसके अलावा 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों द्वारा नाबालिग लड़की के साथ विवाह करने पर पुरुष को, बाल विवाह को आयोजित करने वाले लोगों को, और लड़के एवं लड़की के

अभिभावकों को 3 महीने की जेल की सजा और कुछ निश्चित किया हुआ जुर्माना देना होता था।

हालाँकि इस कानून के लागू होने के बाद इसमें कई बार संशोधन भी किया गया था।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 :

बाल विवाह के लिए बनाये गये कानून की कुछ कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया था, जिसे 1 नवंबर सन 2007 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह को न सिर्फ रोकना था, बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म करना था। पिछले अधिनियम में बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही करना कठिन और समय लेता था, साथ ही इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। इसलिए सन 2006 के अधिनियम के अनुसार इसमें आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया, किन्तु इसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ बदलाव किये गये थे। जोकि इस प्रकार हैं –

- इस कानून के तहत बाल विवाह के लिए मजबूर किये गये नाबालिग लड़कों एवं लड़कियों को उनके वयस्क होने के पहले या उसके बाद 2 साल तक उनकी शादी तोड़ने का विकल्प दिया गया है।
- इसके साथ ही शादी ख़त्म होने पर लड़की के ससुराल वालों को दहेज में मिले सभी कीमती सामान, पैसा और उपहार वापस करना होता है, और लड़की को तब तक रहने के लिए स्थान प्रदान किया जाता है, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती और उसकी शादी नहीं हो जाती।
- इसके अलावा बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे को जायज माना जाता है, और अदालतें भी बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए उसके माता–पिता को उसकी कस्टडी दें, ऐसी उम्मीद की जाती है।
- इसके अलावा इसमें जेल की सजा को 3 महीने से बढाकर 2 साल कर दिया गया है और साथ ही कुछ निश्चित जुर्माना भी लगाया गया है।

रोकथाम : इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर –जमानती है। धारा 13 के तहत, बालक जिसका बाल विवाह हो रहा हो, कोई भी व्यक्ति जिसको बाल विवाह होने को जानकारी हो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अथवा गैर सरकारी संगठन, न्यायालय में आवेदन कर बाल विवाह रुकवाने की व्यादेश (Injunction) प्राप्त कर सकते है। यदि ऐसी

व्यादेश के बावजूद भी बाल विवाह किया जाता है तो इसके लिए दो वर्ष तक की सजा अथवा एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।

इस धारा के तहत, जिला मजिस्ट्रेट को कुछ विशेष दिनों (जैसे अक्षय तृतीया) पर होने विवाह/सामूहिक विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अधिकार प्राप्त होते है।

बाल विवाह का शून्य एवं शून्यकरण (Void and Voidable) : इस अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह बाल विवाह को शुरू से ही रद्द नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय न्यायालय में एक याचिका की

आवश्यकता होती है। इस अधिनियम के तहत, कुछ परिस्थितयों में बाल विवाह पूरी तरीक से शुन्य समझे जाते है एवं कुछ परिस्थितयों में बालक एवं बालिका दोनों में से एक के विकल्प पर। यानी बालक–बालिका दोनों अगर चाहे तो व्यस्क होने पर बाल विवाह को जारी रख कर वैधता प्राप्त कर सकते है।

धारा 3 के तहत प्रत्येक बाल विवाह, दोनों में से एक पक्षकार (लड़का और लड़की) के विकल्प पर शून्यकरण होगी। यानी दोनों में से कोई भी एक

बाल विवाह रद्द करवाने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकता है। लेकिन बाल विवाह शुन्य घोषित करवाने की अर्जी को वयस्कता प्राप्त करने के दो साल के भीतर या उस से पहले दाखिल किया जा सकता है।

धारा 12 के तहत बाल विवाह को 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही शून्य घोषित किया जा सकता है, जब बच्चे का अपहरण, अपहरण, तस्करी या बलपूर्वक, छल, जबरदस्ती या गलत बयानी के तहत शादी करने के लिए मजबूर किया गया हो।

धारा 14 के तहत यदि कोई बाल विवाह न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ आयोजित किया गया हो तो ऐसा बाल विवाह प्रारम्भ से ही शुन्य होगा।

बाल विवाह निषेध अधिकारी : धारा 16 के अनुसार, हर राज्य में पूर्णकालिक ''बाल विवाह निषेध अधिकारी'' नियुक्त किए जाते हैं और उनके द्वारा बाल विवाह के मामले की निगरानी राखी जाती है। इन अधिकारियों को बाल विवाह को रोकने, उल्लंघनों की प्रलेखित रिपोर्ट बनाने, अपराधियों पर

आरोप लगाने, जिसमें बच्चे के माता–पिता भी शामिल हो सकते हैं और यहां तक कि बच्चों को खतरनाक और संभावित खतरनाक स्थितियों से निकालने का अधिकार दिया गया है।

पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में विसंगतियांरू चूंकि कुछ समुदायों के व्यक्तिगत कानून अभी भी बाल विवाह की अनुमति देते हैं, और पीसीएमए (अधिनियम 2006) उन्हें रोकने की कोशिश करता है, ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी जटिलताओं उत्पन्न होती है।

बाल विवाह के लिए दंड का प्रावधान क्या है?

बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाये जो की बाल विवाह के दोषियों के लिए दंड का प्रावधान भी करती है जैसे कि : –

1. 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अगर 18 वर्ष की कम उम्र की किसी बालिका से विवाह करता है, तो जो की कानून और समाज की नजरो में एक अपराध है ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को कानून द्वारा दण्डित किया जायेगा जो कि 2 साल की कठोर

कारावास या 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

2. बाल विवाह करवाने वाले व्यक्ति या ऐसे विवाह को करवाने में मदद करने वाले, इन दोषियों को भी दण्डित किया जायेगा जो कि 2 साल की कारावास की सजा और 1लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
3. अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह को बढ़ावा देता है, बाल विवाह की अनुमति देता है या बाल विवाह में शामिल होता है तो ऐसे व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा जो कि 2 साल तक की कारावास की सजा या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

★★★

गतिविधि 3 :

बाल विवाह पर आवाज उठाने का कौशल : मुखर कौशल

आवश्यक सामग्री : चार्टपेपर, मार्कर
समय : 60 मिनट
कार्यप्रणाली : भूमिका निभाना, समूह कार्य, प्रस्तुतिकरण

चरण 1 : प्रतिभागियों को बताएं कि इस सत्र में हम उन कौशलों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें बोलने और खुद को अभिव्यक्त करने में मदद करेंगे। यह कौशल हमें अपने जीवन में या किसी मित्र की मदद करने में मदद करेगा।

चरण 2 : प्रतिभागियों से उन स्थितियों के बारे में सोचने के लिए कहें जब वे बोलने या खुद को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं थे और उन्हें कैसा महसूस हुआ। उनसे उस समय उनके

विचारों और भावनाओं को पहचानने के लिए कहें। उनसे उन विभिन्न बाधाओं को लिखने के लिए कहें जो वे जो व्यक्त करना चाहते हैं उसे समझाने का प्रयास करते समय अनुभव करते हैं। प्रतिभागियों से अपने अनुभव साझा करने और उनके सामने आने वाली बाधाओं को लिखने के लिए कहें।

चरण 3 : प्रतिभागियों के साथ इस बात पर चर्चा करें कि वे स्थिति से कितने बेहतर तरीके से निपट सकते थे और ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा करें।

चरण 4 : प्रतिभागियों को तीन समूहों में विभाजित करें और उन्हें एक स्थिति दें। प्रतिभागियों को दी गई स्थितियों पर तार्किक निष्कर्ष पर आने के लिए कहें। उनसे भूमिका निभाने और उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहें –

GROUP 1	GROUP 2	GROUP 3
विवाह की उम्र में देरी पर माता–पिता और रिश्तेदारों से बातचीत	उच्च शिक्षा के लिए माता–पिता को मनाने के लिए आवश्यक कौशल	ऐसी स्थितियाँ जहाँ कोई अपने माता–पिता के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं है

चरण 5 : चर्चाओं को सारांशित करें

सुविधाप्रदाता मार्गदर्शन

जोखिम वाले कुछ युवा अपनी भीरुता और परिवार और रिश्तेदारों के प्रति उदासीन प्रतिक्रिया के कारण परेशानी में पड़ जाते हैं। अन्य लोग स्वयं को शत्रुतापूर्ण, क्रोधित और आक्रामक तरीकों से व्यक्त करते हैं जो लोगों और उनके लिए समस्याएँ पैदा करता है

दूसरों के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए शक्ति के साथ बोलने और कार्य करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी शैली है जिसमें व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपनी राय और भावना व्यक्त करते हैं, और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना अपने अधिकारों और जरूरतों की दृढ़ता से वकालत करते हैं।

मुखर संचार पर चर्चा करते समय प्रतिभागियों से निम्नलिखित पर चर्चा करते समय परेशानी वाले स्थानों की पहचान करने के लिए कहें –

- क्या मुझे जो चाहिए वह माँगने में संघर्ष करना पड़ता है?
- क्या मेरी राय बताना कठिन है?
- क्या मुझे ना कहने में परेशानी है?

बाल विवाह रोकने के लिए बढ़ाएं कदम, करें शिकायत

बाल विवाह संबंधी सूचना टोल फ्री नंबर 1098, 100 डायल एवं महिला हेल्पलाइन 1090 तथा जिला कार्यालय के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07482–222784 पर दी जा सकती है। इसके साथ ही ग्राम स्तरों पर आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत भवन एवं पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं।

★ ★ ★

बिहार लोक प्रशासन
एवं
ग्रामीण विकास संस्थान

वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना

टेली : – 91-612-2452585

फैक्स : – 91- 612-2452586

ईमेल : vidhimitra.bipard@gmail.com

वेबसाईट : www.bipard.bihar.gov.in